अध्याय XVIII : पर्यटन मंत्रालय

18.1 अप्राप्त वैट प्रतिदाय

भारत पर्यटन कार्यालय, टोक्यो द्वारा वैट वापसियों हेतु दावे की मॉनिटरिंग तथा अनुसरण की कमी कम से कम ₹62.18 लाख तथा दावा न किए गए ₹25.63 लाख के राजस्व की हानि का कारण बना।

विदेश में राजनयिक मिशन/पोस्ट तथा कार्यालय/कार्यालयों को चलाने तथा अनुरक्षण पर किए गए व्यय पर अदा किए गए मूल्य वृद्धि कर (वैट) की वापसी के हकदार हैं। इस उद्देश्य के लिए, उन्हें अदा किए गए वैट के अभिलेख का अनुरक्षण करने तथा समय पर मेजबान सरकार के पास दावा दर्ज करना अपेक्षित हैं।

भारत पर्यटन कार्यालय, टोक्यो (आईटीओ) का जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा ताईवान पर क्षेत्राधिकार है। प्राथमिक बाजार जापान तथा दक्षिण कोरिया है। आईटीओ से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने निम्नलिखित प्रकट किया:

आईटीओ ने इस आधार पर कि आईटीओ दक्षिण कोरिया में पंजीकृत नहीं था तथा इसलिए वह कर वापसी हेतु योग्य नहीं था, दक्षिण कोरिया में वैट के प्रारम्भ (अगस्त 2011) से दक्षिण कोरिया में फर्मों को किए गए भुगतानों हेतु कर वापसियों का दावा नहीं किया गया था। तथापि, यह पाया गया था कि भारतीय दूतावास (ईओआई), सियोल ने अवधि के दौरान नियमित रूप से वैट वापसियों का दावा किया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में ईओआई, सियोल ने बताया (मार्च 2015) कि इसको आईटीओ के बिलों को मिशन के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय विधि के अनुसार मार्च, 2014 से पहले की अवधि से संबंधित वापसी दावों को कालातीत के रूप में घोषित किया गया है जिसने इन प्रतिदायों की अप्राप्ति प्रस्तुत की है। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान आईटीओ द्वारा किए गए भुगतानों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि इन वर्षों हेतु अप्राप्ति प्रतिदाएं कुल ₹62.18 करोड़ के थे। इस प्रकार, आईटीओ की अपने

बिलों को ईओआई, सियोल के माध्यम से प्रस्तुत करने के विकल्प का अन्वेषण करने की विफलता का परिणाम कम से कम ₹62.18 लाख की हानि में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जनवरी 2015) पर, आईटीओ ने 1 सितंबर 2015 से वैट का भुगतान करना बंद कर दिया तथा वह 1 अप्रैल 2014 से 31 अगस्त 2015 की अवधि हेतु कुल ₹30.77 लाख के वैट की वसूली करने में सफल हुआ था।

आईटीओ ने जापान में किए गए भुगतानों हेतु खपत कर (जापान में वैट) को फाईल करने तथा इसकी वापसी प्राप्त करने के लिए मै. खुजियामा एकाउंटेंट ऑफिस, टोक्यो की नियुक्ति (मई 1999) की थी। अभिकरण ने जनवरी 2013 से अपनी सेवाएं समाप्त कर दी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि आईटीओ ने जनवरी 2013 से मार्च 2015 तक की अवधि हेतु कर वापसियों का दावा नहीं किया था। अक्तूबर 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए अभी भी दावा की जाने वाली वापसियों की राशि का अनुमान ₹25.63 लाख तक परिकलित किया गया था। 1 जनवरी से 30 सितंबर 2013 तक की अवधि हेतु दावा करने योग्य वैट का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि अवधि से संबंधित अभिलेख आईटीओ, टोक्यो के पास उपलब्ध नहीं थे।

आईटीओ ने स्वीकार किया (अक्तूबर 2015) कि दक्षिण कोरिया के मामले में मार्च 2014 से पहले की अवधि से संबंधित वापसियां अवसूलनीय थीं। आईटीओ ने आगे सूचित किया (जनवरी 2016) कि जापान के लिए कर सलाहकार की नियुक्ति का प्रस्ताव इसके मुख्यालय में विचाराधीन था।

इस प्रकार, समय पर वैट प्रतिदायों का दावा करने में आईटीओ, टोक्यो की विफलता का परिणाम कम से कम ₹62.18 लाख की हानि तथा जनवरी 2016 तक कम से कम ₹25.63 लाख के राजस्व के बिना वसूली के रहने में हुआ। 1 जनवरी से 30 सितम्बर 2013 तक की अवधि के लिए दावा करने योग्य वैट का लेखापरीक्षा में पता नहीं जगाया जा सकता था क्योंकि उस अवधि से संबंधित अभिलेख आईटीओ, टोक्यो के पास उपलब्ध नहीं थे।